बिहार विधान सभा में प्राप्त शून्यकाल सूचना	
श्री कुमार शैलेन्द्र , मा0 स0वि0स0 से दिनांक–13.03.2012 को प्राप्त शून्यकाल सूचना संख्या–13/12 के संबंध में।	**श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,** मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना
शून्यकाल सूचना	**उत्तर**
भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के अरसण्डी गाँव में शिवनंदन मंडल, पिता–श्री फुदी मंडल एवं लत्तीपुर गाँव का कारू मंडल, पिता–गोपाल मंडल का बज्रपात से दिनांक–16 जुलाई 2011 को मौत हो गई। अतएव, दोनों मृतक के परिवार को पाँच–पाँच लाख सहायता राशि की मांग करता हूँ।	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–2203 दिनांक –11.07.12 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं उसके बाद की अवधि में वज्रपात (आसमानी बिजली का गिरना) से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार अनुग्रह अनुदान के समतुल्य राशि राज्यकोष से अनुमान्य है । प्रश्नगत वज्रपात की घटना दिनांक –16. 07.2011 को घटित है । अतः उक्त संकल्प के आलोक में दोनों मृतकों हेतु रू0 1,00,000 की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि ही अनुमान्य है। दोनों मृतक के परिवार को एक लाख रू0 प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा दिनांक –26. 03.2013 को कर दिया गया है ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0स0शू0का0–78/2012/............................/आ0प्र0, दिनांक

प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक –564 दि0–03. 05.2013 के क्रम में 04 (चार) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक –04/वि0स0शू0का0–78/2012/....5180............/आ0प्र0, दिनांक – 28.11.13

प्रतिलिपि– सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

28/11/13

विशेष कार्य पदाधिकारी

\\Pc22-pc\d\sanjay sir 2013\vidhan parisad qu as.docx 11-11-13.docx